झारखंड सरकार
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
संकल्प
झारखण्ड फिल्म नीति-2015

1. आमुख

1.1 झारखंड देश का एक महत्वपूर्ण राज्य - जहां क्या नहीं है, प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संपदा, वीर योद्धाओं की कर्मभूमि, विभिन्न धर्म व कला - संस्कृतियों का समावेशी समाज, जहां कण - कण में एक कहानी छुपी हैं, जिसे आप फिल्मा भी सकते हैं, और जहां आकर अपनी फिल्म को एक नयी दिशा भी दे सकते है। सिनेमा का जब से मानव समाज में पदार्पण हुआ, तब से यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के समाज व कला-संस्कृति को प्रभावित किया है। इसे हम अलग कर के नहीं चल सकते। आज तो फिल्म एक उद्योग का रुप ले चुका हैं, और यहीं कारण हैं कि आज देश का प्रत्येक राज्य इस क्षेत्र में नीति बना कर आगे की ओर बढ़ रहा हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश तो इस क्षेत्र में बहुत ही आगे निकल गये हैं, जबकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को तो मनोरंजन की राजधानी तक कहा जाता हैं, पर सच्चाई यह भी हैं कि इस मनोरंजन की राजधानी में बसे लोगों को भी प्राकृतिक सौंदर्य और कला संस्कृति अपनी ओर खींचती हैं और जहां एक बार इसका भान हुआ कि माहौल बनना शुरु हो जाता हैं। आज हमारे राज्य में कई मातृभाषाओं में गीतों व फिल्मों का फिल्मांकन हो रहा है। खुशी इस बात की हैं कि अपने राज्य के कई फिल्मकार राष्ट्रीय क्षितिज पर चमके है और इनकी कई योजनाएं भी है ऐसे में राज्य में फिल्म उदयोग के लिए एक माहौल बने, लोग यहां पर अपने फिल्मों का फिल्मांकन कर सके। बहुत कम लोगों को पता हैं कि आज जिस भोजपुरी फिल्म का बाजार दिनानुदिन बढ़ता जा रहा हैं, उस भोजपुरी भाषा में पहला फिल्म देनेवाला झारखंड का ही व्यवसायी थे, जिनका नाम था - विश्वनाथ शाहाबादी। जिस व्यक्ति ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद की आशाओं को परवान चढ़ाया। भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म - गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो बनायी, जो सुपर-डूपर हिट हुई थी। उस फिल्म के निर्माता - विश्वनाथ शाहाबादी थे। इस फिल्म को दिल्ली के गोलचा सिनेमा हाल में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी देखा था, जबकि डा. राजेन्द्र प्रसाद ने इस फिल्म को पटना के सदाकत आश्रम में देखा और ये दोनों हस्तियां इस फिल्म को देख अभिभूत हो गयी। राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, कला-संस्कृति व पर्यटन को एक नयी दिशा मिले, राज्य में फिल्म उद्योग के क्षेत्र में नये रोजगार का सृजन हो। इसके लिए फिल्म नीति की बहुत ही आवश्यकता हैं, और इसे वर्तमान परिवेश में भूलाया नहीं जा सकता। इससे झारखंड की छवि और उसका इतिहास भी देश के सुदुरवर्ती इलाकों में देखने और सुनने को मिलेगा, जिससे राज्य को एक नये प्रकार की पहचान मिलेगी.....भारत सरकार ने

फिल्मों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है। झारखण्ड सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय 2012 में उद्योग नीति की कंडिका 28 के तहत ही लिया जा चुका था, क्योंकि सरकार का मानना हैं कि फिल्म मनोरंजन ही नहीं बल्कि रोजगार, सामाजिक चेतना व संस्कृति के विकास के लिए और भी ज्यादा सशक्त माध्यम है।

1.2 भारतीय सिनेमा के इतिहास में झारखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। इस राज्य ने फिल्म उद्योग को कई ख्यातिप्राप्त फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, तथा कथा/पटकथाकार दिये हैं। झारखंड बन जाने के बाद भी राज्य के विशाल भू-भाग में फिल्म निर्माण के लिए जितनी प्राकृतिक सौंदर्य और शूटिंग के लिए स्थान हैं, ऐसा स्थान और उसकी संख्या पूरे देश में कहीं नहीं.... हालांकि वर्ष 2012 में फिल्म नीति बनाने का निर्णय लिया गया फिर भी इसमें अन्य आवश्यक सुसंगत प्रावधानों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उन हर बातों का ख्याल रखा गया है, जिसमें झारखण्ड में उपलब्ध असीम संभावनाओं को फिल्मांकित करने का अवसर प्राप्त हो सके।

1.3 आवश्यकता इस बात की भी है कि ऐसा उपयुक्त वातावरण सृजित किया जाय, जिससे झारखण्ड में न केवल बड़े पैमाने पर शूटिंग का कार्य सम्पन्न हो सके, बल्कि फिल्म निर्माण के विभिन्न पक्षों से जुड़ी गतिविधियों का भी समग्र विकास हो सके। इस नीति का उद्देश्य झारखण्ड में फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु एक सुसंगठित ढांचा एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।

2. उद्देश्य ----------

क. झारखण्ड को फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना।

ख. प्रदेश के अद्भुत, मनोहारी तथा रमणीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देना एवं पर्यटकों को आकर्षित करना।

ग. प्रदेश में अभिनय व फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं को विकास के अवसर प्रदान करना।

घ. प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराना।

ड. फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूँजी निवेश आकर्षित करना।

च. देश व प्रदेश की जनता को स्वस्थ व अपेक्षाकृत सस्ता मनोरंजन उपलब्ध कराना।

3. रणनीति

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे है। तथा इस निमित्त झारखण्ड फिल्म विकास निगम का गठन करने की योजना है। यह निगम प्रदेश में फिल्म निर्माण और उसके विकास के सारे पहलूओं पर ध्यान रखेगा। जिसमें इसके प्रमुख कार्य होंगे.....

क. श्रेष्ठ एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक फिल्म निर्माण के सृजन में सहयोग देना,

ख. विद्यमान अधिसंरचना का जीर्णोद्धार,

ग. नवीनीकरण एवं उच्चीकरण,

घ. अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराना,

ड. प्रशासनिक सहायता,

च. वित्तीय प्रोत्साहनों का आकर्षक पैकेज,

छ. सुयोग्य वित्तीय समर्थन की आकर्षक प्रणाली तथा

ज. सिनेमा के प्रचार-प्रसार से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना आदि।

4. परिभाषा

फिल्मों की परिभाषा वही होगी, जो भारतीय सिनेमाटोग्राफी अधिनियम में दी गयी है।

5. स्थापना

5.1 फिल्मों के लिए विशिष्ट प्रकार की अधिसंरचना की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार द्वारा निजी तथा संयुक्त क्षेत्र में इस प्रकार की स्थापना के सृजन को बढ़ावा दिया जायेगा। निजी क्षेत्र में इस प्रकार की स्थापना के उपलब्ध होने तक राज्य सरकार यथासम्भव विद्यमान कमियों को अपने प्रयासों से दूर करने का प्रयत्न करेगी।

5.2 फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अधिसंरचना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

क. शूटिंग तथा फिल्म निर्माण के लिए जैसे स्टूडियों एवं प्रोसेसिंग प्रयोगशालाएं।

ख. फिल्म प्रर्दशन के लिए अधिसंरचना ।

ग. उपकरण

घ. कलाकारों, तकनीशियनों तथा विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रशिक्षण सुविधाएं।

5.3 शूटिंग/फिल्म निर्माण के लिए अधिसंरचना

5.3.1 फिल्म सिटी

5.3.1.1 झारखण्ड सरकार द्वारा एक फिल्म सिटी बनाने की योजना पर भी विचार हो रहा है, ताकि झारखंड के विभिन्न भाषाओ में बननेवाली फिल्मों के फिल्मांकन के लिए यहां के फिल्म निर्माताओं को कहीं दूसरी जगह न जाना पड़े। पड़ोसी राज्य बिहार में बन रही भोजपुरी फिल्में व बंगाल तथा उड़ीसा में बननेवाली क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को देखते हुए भी यहां एक फिल्मसिटी बनाने की योजना पर कार्य करने की जरुरत हैं। ताकि यह झारखंड पूर्वी भारत में फिल्म निर्माण के केन्द्र के रूप में विकसित हो सके, अगर इस क्षेत्र में निजी या कारपोरेट क्षेत्र के लोग पूंजी निवेश कर, फिल्म सिटी का निर्माण करना चाहते हैं, तो उन्हें हर प्रकार की सहायता का प्रावधान है.....

5.3.1.2 प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं का पूर्ण दोहन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से एक सभाव्यता अध्ययन कराया जाएगा। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में नवीन फिल्म नगरी/नगरियों/फिल्म लैबोरेटरी की स्थापना के लिए सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना होगा। यह अध्ययन झारखंड फिल्म विकास निगम द्वारा कराया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसे क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्रों को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनायी जायेगी।

5.3.1.3 राज्य सरकार फिल्म नगरी/नगरियों के स्थापना में सहयोग करेगी और इसके लिए औद्योगिक दरों पर भूमि उपलब्ध करायेगी तथा सहायक स्थापना के सृजन में भी सक्रिय योगदान देगी। सुरक्षा की दृष्टि से फिल्म नगरी में पुलिस थाना स्थापित करने में भी सरकार अपना योगदान करेगी। पुलिस थाना,अग्नि शमन केन्द्र, सम्पर्क मार्ग तथा बाह्य जल निकासी आदि भौतिक स्थापनाओं का विकास राज्य सरकार के माध्यम से किया जायेगा।

5.3.2 स्टूडियोज/लैब्स

जब तक प्रदेश में पूर्ण रूप से क्रियाशील फिल्म नगरी की स्थापना नहीं हो जाती तब तक स्टूडियोज तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना को राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जायेगा। इनकी स्थापना हेतु राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त क्षेत्रीय फिल्मों के लिए इस नीति के अन्तर्गत मान्य अनुदान योजना से उन्हें सम्बद्ध किया जाएगा, ताकि प्रदेश में स्थापित स्टूडियोज/प्रयोगशालाएं लाभान्वित हो सकें।

6. फिल्मों का प्रदर्शन

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक समाज में टी॰वी॰ और केबल नेटवर्क के सशक्त प्रवेश से फिल्म उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सिने-दर्शकों की संख्या में कमी आने के फलस्वरूप बड़ी संख्या में छविगृह बन्द हो गए हैं और कार्यरत छविगृहों के रख-रखाव तथा उनकी सेवाओं का ह्रास हुआ है। फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाएं आवश्यक हैं, किन्तु सिने-दर्शक केवल उसी दशा में छविगृहों की ओर आकर्षित होंगे, जब छविगृहों में फिल्म देखने का अनुभव घर में फिल्म देखने की अपेक्षा विल्कुल भिन्न हो, इसलिए राज्य सरकार द्वारा छविगृहों में भौतिक सुख-साधन तथा प्रौद्योगिकी के उच्च मानकों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान छविगृहों के उच्च मानकों के लिए विशेष योजना बनायी जायेगी।

7. मनोरंजन-कर में कमी

राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति के अन्तर्गत प्रदेश में फिल्म उद्योग को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने व जनता को सस्ती दरों पर मनोरंजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिनेमा/मल्टीप्लेक्स पर मनोरंजन कर की दर की समय-समय पर समीक्षा करेगी, ताकि इस उदयोग को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। फिलहाल राज्य में मनोरंजन कर की दरों में कमी से जनता को मनोरंजन सस्ती दरों पर उपलब्ध हो रहा है। भविष्य में भी इसके उदारीकरण पर विचार किया जा सकता है।

8. बहु-उद्देशीय (मल्टीप्लेक्सेज)

बहु-उद्देशीय(मल्टीप्लेक्सेज) फिल्म प्रदर्शन की नवीन तकनीक विधि है, जो कि तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक विकसित है। झारखण्ड में ऐसे मल्टीप्लेक्सेज की स्थापना, जिसमें दो या उससे अधिक सिनेमा गृह सम्मिलित हों, को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विभिन्न नगर निगम एव फिल्म सिटी में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम वर्ष 100 प्रतिशत, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 75 प्रतिशत एवं चतुर्थ एवं पंचम वर्ष 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। नगर निगम एव फिल्म सिटी से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय वर्ष 100 प्रतिशत और चतुर्थ एवं पंचम वर्ष 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना फिल्म नीति के लागू हो जाने के समय से प्रभावी होगी।

मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों के निर्माण व संचालन के लिए झारखण्ड चलचित्र नियमावली में प्रावधानित नियमों के अन्तर्गत इनके मालिकों को उपायुक्त से अनुमति प्राप्त कर, कार्य को गति देना होगा। मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों के मालिकों को लाइसेंस लेने या उसके बाद उन्हें मिलनेवाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं व करों में रियायत संबंधी प्रस्ताव पर उपायुक्त की ही अनुमति मान्य होगी।

उसके बाद इस पूरे प्रकरण पर विभाग अपनी मंजूरी देगा। नगर निगम क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहित मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान तथा तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहित मनोरंजन कर का 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था होगी। इसी प्रकार ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृहों में जिन्होंने सरकार की योजना से प्रभावित होकर झारखण्ड चलचित्र नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लाईसेंस प्राप्त कर ली है। उपरोक्तानुसार अनुदान का लाभ इस शर्त के साथ मान्य होगा कि सिनेमाघर स्वामी द्वारा सरकार के सभी प्रतिबंधों का पालन किया गया हो तथा नियमानुसार सरकार के अधीन निर्माण की पूर्वानुमति उपायुक्त से प्राप्त कर ली गयी हो। यह अनुदान मनोरंजन कर का प्रतिशत होगा।

9. बंद छविगृहों को पुनर्जीवित करना

बन्द पड़े छविगृहों को पुनर्जीवित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी। सिने व्यवसाय को आर्थिक रूप से उपादेय बनाने के उद्देश्य से बन्द/घाटे में चल रहे सिनेमाघरों को पुनर्संरचित करके 125 अथवा अधिक सीटों की क्षमता के छोटे सिनेमा सहित व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ करने की सरकार की योजना है।

10. वर्तमान छविगृहों का आधुनिकीकरण

सिनेमाहालों में फिल्मों को देखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान छविगृह में उपलब्ध सुविधाओं तथ तकनीकों का आधुनिकीकरण किया जाये। राज्य सरकार द्वारा छविगृह में जनसुविधा के विस्तार एवं उन्हें जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से छविगृहों में आधुनिक ध्वनि प्रणाली, एअर कंडीशनिंग, जेनरेटर सेट, फाल्स सिलिंग लगाने एवं समस्त फर्नीचर बदलने तथा वृहद नवीनीकरण हेतु मनोरंजन-कर उपादन की नवीन योजना लागू करेगी, जिसके अन्तर्गत छविगृह-स्वामी को उपरोक्त सुविधाओं पर किए गए निवेश के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक मनोरंजन-कर, जो इस सुविधा के बाद अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा। अनुदान के रूप में अपने पास रखने की अनुमति पूर्व वर्ष में जमा किये गये मनोरंजन-कर राजस्व के बराबर, कोषागार में जमा करने के पश्चात् दी जायेगी। छविगृह में डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम एवं सौर ऊर्जा से संचालित संयंत्र स्थापित करने पर इस योजना के अंतर्गत निवेश की गयी धनराशि पर 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था कतिपय शर्तों के साथ होगी।

11. छविगृह परिसर का अनुरक्षण

सिनेमा परिसर के रख-रखाव हेतु सरकार के द्वारा किसी सिनेमाघर का मालिक तत्काल प्रभाव से सिनेमा परिसर के अनुरक्षण और वातानुकूलन/वायुशीतन सुविधाओं हेतु प्रति टिकट मूल्य में से आमोद कर

को छोड़कर क्रमशः रू॰ 6.00 और रू॰ 3.00 का उपयोग करेगा। इस व्यवस्था से आमोद घर के स्वामी सिनेमा परिसर का रख-रखाव करते हैं, जिससे सिनेमा में प्रवेश पाने वाले दर्शकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध होती है।

12. भूमि

12.1 नवीन छविगृहों को अपने आच्छादित क्षेत्रफल के 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक का प्रयोग वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु करने की छूट होगी।

12.2 मल्टीप्लेक्सेज तथा छविगृहों के भावी विकास के लिए प्रमुख स्थलों पर भूमि का आवंटन स्थानीय नगर प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा। मल्टीप्लेक्सेज/छविगृहों हेतु भूमि, आवासीय दर को न्यूनतम मानकर नीलामी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी तथा सम्बधित व्यक्ति द्वारा पहले मल्टीप्लेक्सेज/छविगृहों का निर्माण कराया जायेगा तथा इसके उपरान्त ही वाणिज्यिक निर्माण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सम्बधित व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।

13. कैप्टिव विद्युत उत्पादन

छविगृह के सफल व्यावसायिक संचालन के लिये नियमित तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति मूलभूत आवश्यकता है। छविगृह-स्वामियों द्वारा कैप्टिव पावर प्लाण्ट जनरेटर की स्थापना को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। इन संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत पर 3 वर्षों के लिए किसी प्रकार की विद्युत ड्युटी नहीं लगायी जाएगी।

13.1 मिनिमम कन्जमप्शन गारण्टी

अन्य उद्योगों की भाँति ही यदि छविगृह निर्धारित वार्षिक मिनिमम कन्जम्प्शन गारण्टी कुछ ही माह में पूर्ण कर लेते हैं तो वर्ष के शेष भाग में उनकी बिलिंग वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर की जायेगी।

14. छविगृहों को उद्योग का दर्जा

झारखण्ड में छविगृहों को उद्योग का दर्जा दिया गया है।

15. वैधानिक संशोधन

उद्योग के प्रतिनिधियों से परामर्श के बाद सिनेमेटोग्राफी नियमावली तथा सिनेमा से सम्बधित अन्य कानूनों में आवश्यक सुधार किये जाएंगे, ताकि मल्टीप्लेक्सेज तथा छोटे छविगृहों के निर्माण तथा स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके।

16. उपकरण

झारखण्ड में पूर्ण रूप से क्रियाशील फिल्म नगरी/नगरियों की स्थापना होने तथा स्थापनीय सिनेमा उद्योग का पर्याप्त विकास होने तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों यथा, शिक्षा, सूचना एवं जन-संपर्क तथा कला-संस्कृति में उपलब्ध उपकरण फिल्म निर्माताओं को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। फिल्म निर्माताओं की आवश्यकता के अनुरूप इन उपकरणों के वर्तमान भण्डार को बढ़ाया जायेगा। इन उपकरणों के अर्जन तथा उनके रख-रखाव के लिए 'फिल्म विकास निधि का उपयोग किया जायेगा। इस कार्य हेतु "झारखंड फिल्म विकास निगम" नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। तथा समस्त उपकरणों का एक पूल "झारखंड फिल्म विकास निगम" में स्थापित किया जायेगा। उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए "झारखंड फिल्म विकास निगम" सरकार के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी पूल बना सकेगा।

17. शूटिंग स्थलों का विकास

राज्य में उपलब्ध प्रचुर नैसर्गिक सुन्दरता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि का पर्यटन विभाग निरन्तरता के आधार पर राज्य में आउट-डोर शूटिंग के लिए स्थलों का चयन कर उनका विकास करेगा तथा सक्रियता से प्रचार करेगा। इसके लिए पारदर्शी, लघु फिल्में, प्रचार-साहित्य जैसे-ब्रोशर्स इत्यादि विकसित किये जायेंगे। प्रदेश की नयी "पर्यटन नीति" के तहत निजी-क्षेत्र को इस बात के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा। कि वे इन शूटिंग स्थलों पर होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेन्ट तथा कैम्पिंग सुविधाओं की स्थापना करें।

18. कलाकारों तथा तकनीशियनों का प्रशिक्षण

18.1 फिल्म उद्योग के उपयुक्त विकास के लिए यह परम् आवश्यक है कि प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार तथा प्रशिक्षित तकनीशियन सुगमता से उपलब्ध हों। झारखण्ड में फिल्म तथा टेलीविजन इंस्टीट्युट की एक शाखा खोलने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करेगी, ताकि उन प्रतिभाशाली नवयुवकों की आकांक्षा की पूर्ति हो सके, जो कि झारखंड में फिल्मों को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस शाखा की स्थापना होने तक प्रदेश में संगीत नाट्य अकादमी का विकास, 'राज्य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान' के रूप में करना होगा।

18.2 फिल्म तकनीशियनों को चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस उद्देश्य से सम्बधित पाठ्यक्रम कुछ संस्थानों में प्रारम्भ किए जाऐंगे। राज्य सरकार द्वारा निजी-क्षेत्र को भी फिल्म सम्बन्धी व्यवसायों एवं पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

18.3 भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में झारखण्ड के प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति दी जायेगी। जो संस्थान के शुल्क का 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या दोनो संस्थानों में प्रत्येक के लिए अलग-अलग दस होंगी। इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन 'फिल्म विकास निधि से किया जायेगा। आनेवाले समय में गर इन संस्थानों से भी अलग कोई बेहतर संस्थान राज्य सरकार के सामने दृष्टिगोचर होगी, जहां झारखंड के युवा फिल्म प्रशिक्षण ले रहे होंगे, वहां के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध होंगी। राशि देने की प्रक्रिया - राज्य सरकार के विभागीय मंत्री के बिना सहमति के संभव नहीं होगी। राज्य के प्रशिक्षणार्थी युवाओं को उत्प्रेरित करने के लिए, बेहतर संभावनाओं को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों में से बेहतर प्रदर्शन करनेवाले सर्वश्रेष्ठ पांच अभ्यर्थियों को पुरस्कृत भी करेगी।

18.4 प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में "परफार्मिंग आर्ट्स " के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे, ताकि प्रदेश के युवा वर्ग को अपनी प्रतिभा विकसित एवं मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके।

19. फिल्म इकाइयों के लिए आवासीय सुविधा

प्रदेश मे आउट-डोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को झारखण्ड राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स/मोटल्स में कमरों के किराए में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के अतिथि गृह/विश्रामालय भी इन 'फिल्म इकाइयों ' को नियमित भुगतान पर उपलब्ध होंगे।

20. सरकारी हवाई पट्टियों का प्रयोग

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हवाई पट्टियों के प्रयोग की सुविधा आउट-डोर शूटिंग करने वाली फिल्म इकाइयों को निर्धारित किराये के भुगतान पर उपलब्ध कराई जा सकेगी।

21. फिल्मों का वित्त-पोषण

21.1 फिल्म उद्योग के विकास में फिल्मों का वित्त पोषण एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत सरकार फिल्मों को उद्योग का दर्जा देने के लिए राजी हो गयी है तथा व्यावसायिक बैंको से फिल्मों के वित्त पोषण की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। झारखण्ड की राज्य वित्तीय संस्थाएं पहले से ही स्टुडियों तथा उपकरणों जैसे हार्ड-वेयर के लिए नियमित व्यावसायिक शर्तों पर वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। इस समिति की अनुशंसाएँ प्रस्तुत होने पर तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लेने पर राज्य सरकार उन्हें अंगीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

21.2 उक्त समिति ' की रिपोर्ट आने तक फिल्मों का वित्त पोषण झारखंड फिल्म विकास निगम द्वारा 'फिल्म विकास निधि ' के माध्यम से किया जायेगा। प्रदेश "राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम" बैंको के साथ संयुक्त ऋण योजना में प्रतिभागी बनेगा, किन्तु यह वित्त पोषण केवल उन्ही फिल्मों के लिए मान्य होगा जो 75 प्रतिशत से अधिक झारखण्ड में फिल्मांकित की जायेंगी तथा प्रदेश की छवि को उभारेंगी।

21.3 फिल्म निधि

21.3.1 फिल्म तथा फिल्म सम्बन्धी स्थापना के विकास की विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए सिनेमा टिकटों पर 2 प्रतिशत चार्ज किया जाएगा। यह शुल्क प्रत्येक जिले के कोषागार में "फिल्म निधि" के नाम से जमा किया जायेगा। इस प्रकार से एकत्र की गयी समतुल्य धनराशि उपायुक्त की सहायता से वित्त विभाग में जमा करायी जायेगी और फिर ये राशि वित्त विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष सूचना एवं जनंसपर्क विभाग के आय-व्ययक में अलग लेखा शीर्षक खोलकर उपलब्ध कराई जाएगी तथा उसे अनुदान के रूप में झारखंड फिल्म विकास निगम को दी जायेगी। जिसे झारखंड फिल्म विकास निगम के अधीन स्थापित 'फिल्म विकास निधि ' में जमा किया जायेगा। इसका संचालन झारखंड फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही फिल्म विकास निधि में अनुदान के अतिरिक्त फिल्म उपकरणों के किराये, फिल्म महोत्सव के आयोजन में टिकटों से होने वाली आय को भी जमा किया जाएगा। निधि से प्राप्त धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगाः-

फिल्म/वीडियों फिल्म/डाक्यूमेंट्री फिल्म तथा क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण हेतु स्थापना सुविधा का विकास ।

हिन्दी फिल्म/वीडियों फिल्म/डाक्यूमेंट्री फिल्म तथा क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

उपर्युक्त फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना।

उपर्युक्त फिल्मों के निर्माण के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।

फिल्म निर्माण से सम्बन्धित उपकरणों की व्यवस्था ।

फिल्म स्टुडियों की स्थापना।

फिल्मों के लिए पुरस्कार।

फिल्म छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।

फिल्म महोत्सव का आयोजन।

फिल्म गोष्ठियों का आयोजन।

फिल्म से संबंधित अन्य सभी कार्यक्रम।

झारखंड फिल्म विकास निगम की स्थापना तथा उसके रख-रखाव सम्बंधी व्यय।

21.3.2 फिल्म विकास निधि, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में झारखण्ड फिल्म विकास निगम के अधीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा इसका प्रबंध किया जायेगा। प्रबंध समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

1. मुख्यमंत्री/विभागीय मंत्री - अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव/सचिव - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, - उपाध्यक्ष
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग - सदस्य
4. सचिव, नगर विकास विभाग - सदस्य
5. सचिव, वाणिज्यकर, विभाग - सदस्य
6. सचिव, उद्योग विभाग - सदस्य
7. सचिव, पर्यटन, कला एवं संस्कृति - सदस्य
8. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग - सदस्य/सचिव
9. अपर निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग - सदस्य, कार्यान्वयन
10. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग - सदस्य/ संयुक्त सचिव
11. सहायक निदेशक/ लेखा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग - कोषाध्यक्ष

22. वित्तीय प्रोत्साहन

22.1 व्यापार-कर से छूट: राज्य सकार ने पूर्व में ही फिल्म को उद्योग घोषित कर दिया है। फिल्म निर्माताओं द्वारा वितरकों तथा फिल्म प्रदर्शकों के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय व्यापार-कर को मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

22.2 कर प्रोत्साहन: राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही झारखण्ड में फिल्मांकित फिल्मों के लिए आकर्षण मनोरंजन कर रियायतों की घोषणा की जा चुकी है। इस घोषणा के अनुसार जिन फिल्मों की 50 प्रतिशत शूटिंग झारखण्ड में की जायेगी, उन्हें छः माह की अवधि के लिए मनोरंजन कर में 50 प्रतिशत की रियायत दी जायगी।

और जिन फिल्मों की 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग प्रदेश में की जायेगी, उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए मनोरंजन कर में शत-प्रतिशत रियायत दी जायगी। यह व्यवस्था नई फिल्म नीति लागू होने के बाद से कर दी जायेगी।

22.3 फिल्मों की कर मुक्ति: फिल्मों को मनोरंजन कर मुक्ति प्रदान करने के सम्बंध में नीति निर्धारित की गयी है, जिसके अंतर्गत द चिल्ड्रेन फिल्म सोसाईटी' द्वारा निर्मित अथवा अधिगृहित फिल्मों, भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म, भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित डाक्युमेन्ट्री फिल्म, परिवार कल्याण पर आधारित फिल्म, जिसका 75 प्रतिशत भाग परिवार नियोजन पर ही हो, राज्य सकार/केन्द्रीय सरकार/राजकीय उपक्रम अथवा एन.एफ.डी.सी. एवं अधिकृत सहकारिता संस्थान द्वारा निर्मित उद्देश्य पूर्ण फिल्मों को नियमानुसार कर मुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा प्रदेश में फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करने की नीति में संशोधन करते हुए प्रदेश में छायांकन के आधार पर कर मुक्त करने की व्यवस्था को लागू करने की योजना है। इसके साथ ही कर मुक्ति नीति में विहित एक समय में कर मुक्त 12 प्रिंट चलाये जाने की शर्त को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर किसी फिल्म को अधिकतम 200 प्रिंट/वीक की कर मुक्ति प्रदान की जायेगी जिसका उपयोग 03 माह की समय-सीमा के अधीन किया जाना होगा।

22.4 प्रगतिशील कर प्रणाली: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मनोरंजन कर के ढाँचे का पुनरीक्षण किया जायेगा ताकि इसे फिल्म निर्माण, स्टूडियों निर्माण तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

23. क्षेत्रीय फिल्में

23.1 अन्य राज्यों में रोजगार सृजन तथा स्थापना के विकास में क्षेत्रीय फिल्मों की सफल भूमिका अनुकरणीय है। प्रदेश हिन्दी भाषा का मुख्य क्षेत्र तथा माटी से जुड़ी हुई लोक-संस्कृति से समृद्ध होने के बावजूद क्षेत्रीय, भाषाई तथा आँचलिक सिनेमा से वंचित रहा है। झारखण्ड की क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग भारतीय साहित्य में व्यापक रूप से हुआ है। संथाली, हो, उरांव, नागपुरी, बंगला, उड़िया, भोजपुरी, बोलने वाले लोग, न केवल देश में फैले हुए हैं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में रहते हैं। पूर्व में बनाई गयीं अनेक भोजपुरी फिल्मों को व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक सफलता मिली है। जिसमें झारखंड के महान हस्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अतः क्षेत्रीय फिल्मों के विकास एवं उनकी सफलता की प्रबल संभावनाएं हैं।

23.2 राज्य सरकार इन बोलियों तथा संस्कृतियों में अन्तर्निहित शक्ति एवं सम्भावनाओं से पूर्ण रूप से परिचित है। इन क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा। इससे न केवल एक सशक्त क्षेत्रीय एवं आँचलिक फिल्म उद्योग का विकास होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में रोजगार

के अवसर सृजित होगे और प्रदेश की स्थानीय संस्कृतियों की छवि प्रक्षेपित होगी। क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के विकास से एक ऐसा वातावरण बनेगा, जो झारखंड में मुख्य धारा की हिन्दी फिल्मों के निर्माण को भी आकर्षित करेगा। एक पनपता हुआ क्षेत्रीय फिल्म उद्योग फिल्म सम्बन्धी स्थापना को अर्थिक रूप से सबल बनाने में भी सहायक होगा, इसलिए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड में क्षेत्रीय फिल्मों के विकास के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है।

23.3 अनुदान/प्रोत्साहन व्यवस्था

1. झारखण्ड फिल्म नीति - 2015 के अन्तर्गत झारखंडी भाषा में बनने वाली फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत और हिन्दी , बंगला, उड़िया तथा अन्य भाषा में बनने वाली फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी। डाक्युमेन्ट्री के लिए न्युनतम अवधि आधे घंटे व फ़िचर फ़िल्मो के लिए न्युनतम अवधि एक घंटे अवश्य होनी चाहिए।

2. राज्य में निर्मित उपरोक्त बिन्दु-1 में उल्लिखित फिल्मों, जिनके कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवसों की शूटिंग झारखण्ड में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा रूपये-1,00,00,000.00(रूपये एक करोड़ मात्र) तक होगी।

3. राज्य में निर्मित उपरोक्त बिन्दु-1 में उल्लिखित फिल्मों, जिनके कुल शूटिंग दिवसों में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग झारखण्ड में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा रूपये - 2,00,00,000.00 (दो करोड़ रूपये मात्र) तक होगी।

4. फिल्म नीति के अन्तर्गत राज्य मे निर्मित किये जाने के आधार पर एक बार अनुदान प्राप्त फिल्म के बाद, अग्रेतर फिल्म बनाये जाने पर निम्नलिखित धनराशि अनुदान के रूप में दी जा सकेगीः-

फिल्म का विवरण राज्य में फिल्म में शूटिंग की स्थिति अनुदान की अधिकतम धनराशि----------

क. राज्य में द्वितीय फिल्म --

फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर रूपये - 1,25,00,000.00

(रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

फिल्म की कुल शुटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर रूपये - 2,25,00,000.00

(रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

ख. राज्य की तृतीय फिल्म --

फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर रूपये - 1,50,00,000.00

(रूपये एक करोड़ पच्चास लाख मात्र)

फिल्म की कुल शुटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर - रूपये - 2,50,00,000.00

(रूपये दो करोड़ पच्चास लाख मात्र)

ग. राज्य में चतुर्थ फिल्म --

फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर रूपये - 1,75,00,000.00

(रूपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)

फिल्म की कुल शुटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर -रूपये - 2,00,00,000.00

(रूपये दो करोड़ मात्र)

घ. प्रदेश में पंचम फिल्म

फिल्म अथवा उसके उपरान्त फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर रूपये - 2,50,00,000.00

(रूपये ढाई करोड़ मात्र)

फिल्म की कुल शुटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर रुपये - 3,00,00,000.00 (रुपये तीन करोड़ मात्र)

5. राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्माता/निर्देशक द्वारा फिल्म नीति के अन्तर्गत प्रदेश में निर्मित किये जाने के आधार पर एक बार अनुदान प्राप्त करने के बाद अग्रेतर फिल्म बनाये जाने पर अनुदान धनराशि निम्नवत होगी:-

फिल्म का विवरण राज्य में फिल्म में शूटिंग की स्थित अनुदान की अधिकतम धनराशि

क. राज्य में द्वितीय फिल्म -फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर रूपये - 1,75,00,000.00

(रूपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)

फिल्म की कुल शुटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर रूपये - 2,75,00,000.00

(रूपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)

ख. राज्य की तृतीय फिल्म - फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर रूपये - 2,25,00,000.00

(रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

फिल्म की कुल शुटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर रूपये - 3,25,00,000.00

(रूपये तीन करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

ग. राज्य में चतुर्थ फिल्म - फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर रूपये - 2,50,00,000.00

(रूपये दो करोड़ पच्चास लाख मात्र)

फिल्म की कुल शुटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने रूपये - 3,50,00,000.00

(रूपये तीन करोड़ पच्चास लाख मात्र)

घ. राज्य में पंचम फिल्म अथवा उसके उपरान्त फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर रूपये - 2,75,00,000.00

(रूपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
फिल्म की कुल शुटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर रूपये - 3,75,00,000.00
(रूपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)

6. यदि किसी फिल्म निर्माता द्वारा राज्य में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है/निर्मित की जाती है, जिसके मुख्य पाँच कलाकार झारखण्ड के ही हैं तो उक्त फिल्म हेतु उन कलाकारों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से रू॰ 25,00,000/- (रू पच्चीस लाख रूपये मात्र) जो भी कम हो, का अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकेगा।

7. इसी प्रकार यदि किसी फिल्म निर्माता द्वारा राज्य में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है/निर्मित की जाती है जिसके समस्त कलाकार झारखण्ड के ही हैं, तो उक्त फिल्म हेतु उन कलाकारों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से रू॰ 50,00,000/- (रू पचास लाख मात्र) जो भी कम हो, का अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकेगा।

8. यदि फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म शूटिंग के उपरान्त फिल्मों की प्रोसेसिंग राज्य में ही की जाती है, तो उक्त प्रोसेसिंग पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू॰-50.00 लाख का अनुदान, जो भी कम हो, अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया जा सकेगा।

9. यदि किसी निवेशक झारखण्ड के बड़े शहरों में (फिल्म सिटी को छोड़कर) फिल्म प्रशिक्षण संस्थान खोलता है, तो लागत धनराशि का 50 प्रतिशत अथवा रू॰-50.00 लाख में से जो भी कम हो, का अधिकतम अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

10. यदि कोई फिल्म निर्माता झारखण्ड में फिल्म निर्माण/फिल्म की शूटिंग के माध्यम से राज्य के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक थीम/ विरासत के सम्बन्ध में फिल्म निर्मित करता है, जिससे राज्य के बाहर, राज्य की विशिष्ट पहचान बनती हो उसे रू॰-50.00 लाख, फिल्म को दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दिया जा सकेगा।

11. राज्य में बोली जाने वाली हिन्दी भाषा सहित हो, उरांव, संथाली, नागपुरी, बंगला, उड़िया एवं भोजपुरी भाषाओं में अधिकाधिक फिल्में निर्मित किये जाने एवं फिल्म को उद्योग के रूप में विकसित करने तथा रोजगार सृजन बढ़ाये जाने के दृष्टिगत एक वित्तीय वर्ष में रू॰ **5.00** करोड़ की अनुदान राशि विभागीय मंत्री की अनुमति से मुक्त की जा सकेगी तथा रू॰ **5.00** करोड़ से अधिक की अनुदान राशि कार्यपालिका नियमावली की विहित प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री की अनुमति से मुक्त की जा सकेगी ।

12. उपरोक्तानुसार दिये जाने वाले अनुदान का आकलन किये जाने हेतु जो समिति बनायी जाये, उसमें सनदी लेखाकार, जिसे फिल्म के लेखो की लेखा परीक्षा का अनुभव हो, उसे भी सदस्य के रूप में रखा जाये ताकि निर्माण लागत के आकलन में सुविधा हो।

13. अनुदान चयन के लिए पटकथा की गुणवत्ता, निर्देशक का अनुभव व ख्याति एवं बजट का परीक्षण झारखण्ड फिल्म विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. अनुदान फिल्म के रीस्टाक एवं री-रिकार्डिंग, लैब एवं स्टूडियों से संबंधित व्यय, फिल्म यूनिट के झारखण्ड में होटल आदि में रूकने का किराया, शुटिंग के दौरान प्रदेश मे आवागमन (लोकल कन्वेन्स के रूप में टैक्सी किराया आदि), कास्टयूम, मेक-अप मैटीरियल एवं ज्वैलरी के किराये, झारखण्ड के फिल्म संस्थानों/फर्मों से किराये पर लिये गये उपकरणों तथा झारखण्ड में फिल्म लोकेशन के किराये पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

फिल्म की लागत के संबंध में सी॰ए॰ द्वारा प्रमाणित व्यय के मूल प्रमाण पत्र के साथ उपरोक्त समस्त प्रकार के व्यय के संबंध में विस्तृत विवरण एवं तत्संबंधी प्रपत्र बीजकों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. फिल्म की कुल शूटिंग दिवसों के संबंध में निर्माता/निर्देशक द्वारा शपथ पत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्र दिया जाना आवश्यक होगा, जिसमें झारखण्ड में की गयी शूटिंग के दिवसों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

16. उक्त अनुदान केवल प्रथम प्रिन्ट की सीमा तक के लिए ही दिया जायेगा।

17. अनुदान फिल्म का निर्माण करने वाली संस्था को ही दिया जायेगा।

18. झारखण्ड की संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहर तथा मानवीय मूल्यों पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का राँची में यथासंभव प्रतिवर्ष आयोजन किया जायेगा।

19. इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण झारखंड फिल्म विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

23.4 दो सप्ताह के लिए क्षेत्रीय फिल्मो का अनिवार्य प्रदर्शन क्षेत्रीय सिनेमा को सुनिश्चित प्रदर्शन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य में स्थित सभी छविगृहों के लिए वर्ष में यथासंभव कम से कम दो सप्ताह के लिए क्षेत्रीय फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था की जायेगी।

23.5 कर रियायत: उपर्युक्त किसी भी बोली में झारखण्ड के अन्दर बनाई क्षेत्रीय फिल्मों को मनोरंजन कर में एक वर्ष की अवधि के लिए 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

24. प्रशासनिक सुविधाएं

24.1 झारखण्ड में फिल्म क्षेत्र के दीर्घकालिक तथा अर्थपूर्ण विकास के लिए राज्य स्तरीय फिल्म विकास परिषद की स्थापना की जायेगी। इस परिषद् की अध्यक्षता सरकार द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी। इस परिषद् में प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता, वितरक, कलाकार तथा विभागीय अधिकारी होंगे। सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक इस परिषद् के संयोजक होंगे। यह परिषद् समय-समय पर झारखण्ड मे फिल्मों के विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों पर विचार-विमर्श करेगी, फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक स्थापना के उच्चीकरण तथा सृजन पर शासन को परामर्श देगी और साथ ही फिल्म क्षेत्र मे निवेश आकर्षित करने हेतु रणनीति तैयार करेगी। इस परिषद् द्वारा 'फिल्म नीति ' के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा तथा जब कभी और जहाँ कहीं किसी सुधार व संशोधन की आवश्यकता होगी सुझाव देगा।

24.2 राज्य फिल्म एकांश का गठन: झारखण्ड में बनी लघु/शैक्षिक फिल्मों को छविगृहों में चलाने तथा फिल्म नीति के क्रियान्वयन हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधीन राज्य फिल्म एकांश का गठन करेगा। यह एकांश प्रदेश में फिल्मों, विशेषकर फिल्मों के लिए सुगम, सरल तथा समयबद्ध प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध करायेगा। राज्य फिल्म एकांश में निम्न पदाधिकारी होंगे:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग - अध्यक्ष
2. निदेशक, दूरदर्शन, राँची - सदस्य
3. निदेशक, आकाशवाणी, राँची - सदस्य
4. निदेशक, कला एवं संस्कृति, - सदस्य
5. आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग, - सदस्य

   या उसके प्रतिनिधि जो अपर आयुक्त से नीचे न हो।
6. अपर निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग - सदस्य
7. उप निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग - सदस्य

   या निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क द्वारा नामित अधिकारी।

24.3 पृथक वितरण क्षेत्र - हिन्दी फिल्मों से प्राप्त होने वाले राजस्व में झारखण्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बावजूद, फिल्म वितरण के लिए इसे अन्य क्षेत्रों के साथ रखा गया है। झारखण्ड राज्य का यह प्रयास होगा और इस बात पर बल दिया जायेगा कि झारखण्ड एक पृथक वितरण क्षेत्र के रूप में स्थापित हो। इससे झारखण्ड से प्राप्त होने वाले राजस्व को प्रदेश में बनने वाली फिल्मों के वित्त पोषण पर लाभकारी ढंग से पुनर्निवेषित किया जा सकेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त वैधानिक तथा वित्तीय व्यवस्थाएँ विकसित की जायेंगी। वितरकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने कार्यालय झारखण्ड में स्थापित करें। इन वितरकों को विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि तथा भवन के आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

24.4 स्वीकृतियों के लिए एकल मेज व्यवस्था: फिल्म नीति के सफल क्रियान्वयन एवं फिल्म से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 'एकल मेज प्रणाली ' का गठन किया गया है। फिल्म नीति के समस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त विचाराधीन प्रकरणों के क्रियान्वयन की सुविधा विभाग के अधीन झारखंड फिल्म विकास निगम के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा उपलब्ध होगी।

24.5 फिल्म निर्माण हेतु सुरक्षा व्यवस्था: झारखण्ड का सम्मानपूर्ण अतिथ्य सर्वविदित रहा है। अनेक भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्में, झारखण्ड में फिल्मांकित की गयी हैं तथा कानुन व व्यवस्था की दृष्टि से फिल्मकारों का स्थानीय जनता के साथ सुखद अनुभव रहा है। राज्य अपनी आतिथ्य-सत्कार की परम्पराओं को जारी रखेगा तथा झारखण्ड में फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं को सामान्य रूप से आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी, किन्तु निर्माताओं को इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को न्यूनतम तीन सप्ताह पूर्व सूचित करना होगा, ताकि आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किये जा सके। यह सूचना झारखंड फिल्म विकास निगम के माध्यम से भी दी जा सकती है। फिल्म निर्माण के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु पुलिस विभाग के अधीन एक फिल्म शूटिंग विंग की स्थापना की जायेगी, ताकि विंग के अन्तर्गत उपयुक्त संख्या में आवश्यक पुलिस बल व्यवस्था की जायेगी ताकि फिल्म शूटिंग के समय फिल्म निर्माताओं की मांग पर उनकी मांग के अनुसार आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सके। यह अतिरिक्त विशिष्ट पुलिस बल फिल्म निर्माताओं को निर्धारित दर पर भुगतान किये जाने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

24.6 वीडियों पाइरेसी तथा फिल्मों के गैरकानूनी प्रदर्शन पर रोक: वीडियों पाइरेसी तथा विभिन्न संचार के माध्यमों से फिल्मों के गैरकानूनी प्रदर्शन से फिल्म उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य सकार उपभोक्ताओं के अच्छी तथा प्रमाणित फिल्में देखने के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए वचनबद्ध है। वीडियों पाइरेसी तथा अप्रमाणित फिल्मों के अवैधानिक प्रदर्शन को रोकने हेतु सम्बन्धित कानूनों का कठोरता से क्रियान्वयन किया जायेगा। इस उद्देष्य से राज्य द्वारा "सतर्कता समिति" का गठन किया जायेगा, जिसमें उद्योग, मनोरंजन कर, गृह विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे।

25. फिल्म का प्रचार-प्रसार

25.1 यह सर्वमान्य सत्य है कि फिल्म उद्योग पूर्ण रूप से जन-समर्थन पर आश्रित है। एक बड़ी जनसंख्या वाला झारखण्ड फिल्मों के लिए एक श्रेष्ठ जनाधार प्रस्तुत करता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि देश के कुछ भागों में प्रचलित फिल्म संस्कृति, झारखण्ड में अपनी जड़े जमा नहीं पायी हैं। राज्य द्वारा जनसाधारण में फिल्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किये जायेंगे, ताकि अधिक-से-अधिक लोगों का ध्यान मनोरंजन के इस शिक्षाप्रद श्रोत की ओर आकर्षित किया जा सके। निम्नलिखित विधियों से इस लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी:-

फिल्मोत्सव का आयोजन...

पुरस्कारों का आयोजन...

फिल्म सोसाइटीज को समर्थन...

25.2 फिल्मोत्सव:- राज्य द्वारा वर्ष में एक बार फिल्मोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इन उत्सवों का उद्देश्य उच्च श्रेणी की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मों को जन-साधारण की आसान पहुँच में लाना है। इससे स्वस्थ सिनेमा संस्कृति का विकास होगा तथा राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक व्यापक आधार तैयार होगा। इस व्यापक आधार को राज्य में मजबूत करने के लिए, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पर्यटन विभाग, वाणिज्य-कर विभाग तथा कला-संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किया जायेगा। फिल्मोत्सव का आयोजन फिल्म विकास निधि के माध्यम से किया जायेगा तथा इसका पर्यवेक्षण झारखंड फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इस अवसर को विशिष्ट पर्यटकीय अवसर के रूप में विकसित किया जायगा।

25.3 पुरस्कार

25.3.1 राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय फिल्मों के निर्माण से जुड़े व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार की स्थापना की जायेगी। फिल्म पुरस्कार हेतु दिनांक 01 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच निर्मित हिन्दी व क्षेत्रीय फिल्मों पर विचार किया जायेगा।

25.4 फिल्म सोसाइटीज: फिल्म सोसाइटीज, फिल्म संस्कृति के विकास तथा सिने-दर्शकों का एक विवकेशील तथा बुद्धिमान वर्ग सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा उच्च श्रेणी का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सिनेमा, जानकार लोगों द्वारा देखा जाता है, उन पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा उका विश्लेषण किया जाता है। फिल्म सोसाइटी आन्दोलन झारखण्ड में कुछ स्थानों तक ही सीमित रहा है। उनकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'फिल्म सोसाइटी आफ इंडिया से विधिक रूप से पंजीकृत गम्भीर एवं सक्रिय फिल्म सोसाइटीज को 'फिल्म विकास निधि ' से वार्षिक अनुदान दिया जायेगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन.एफ.डी.सी.) तथा फिल्म सोसाइटी आफ इण्डिया से इस बात का आग्रह किया जायेगा, कि वे इन सोसाइटी को अपनी गतिविधियों के विकास तथा उन्नयन हेतु विशेष पैकेज प्रदान करें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : सं०–वि०नि० –509 / 13 ......507....... /   राँची, दिनांक :..23.12..2015।
प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : सं०–वि०नि० –509 / 13 ......507....... /   राँची, दिनांक :..23.12.. 2015।
प्रतिलिपि : सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / प्रमंडलीय आयुक्त / विभागाध्यक्ष / उपायुक्त / पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : सं०–वि०नि० –509/13 ....507..../ **राँची, दिनांक :..23.12.. 2015।**
प्रतिलिपि : सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, झारखण्ड के मुख्यालय एवं क्षेत्र के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/2015
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : सं०–वि०नि० –509/13 ....507..../ **राँची, दिनांक :..23.12.. 2015।**
प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/2015
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : सं०–वि०नि० –509/13 ....507..../ **राँची, दिनांक :..23.12.. 2015।**
प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, झारखण्ड, रांची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 (एक हजार) अतिरिक्त प्रतियाँ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ऑड्रे हाउस, रांची को भेजने की कृपा करें।

22/12/2015
सरकार के प्रधान सचिव